फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश बनाम सुन्दर वगै0 किस्म मुकदमाः— प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण संख्याः— 15/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
17-12-25	उपस्थितः— 1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री वैभवराज गुरावा 2. अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बृजमोहन गौड **आदेश** संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन मु0 उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम सुन्दर वगै0 दावा सं0 00221/2015 व प्रा0प0 अस्थायी निषेधाज्ञा नं0 00223/2015 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी विशेष रूचि लेकर प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी सुनवाई के दौरान भी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का पक्ष लेते है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मंशा जाहिर करते है। प्रार्थी ने इस प्रकार कथन करते हुए उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम सुन्दर वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायोचित निर्णय के लिए प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना जरूरी है अतः वाद पत्र जगदीश बनाम सुन्दर व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाएं। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को निराधार बताते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी पर गौर फरमाया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा में विचाराधीन प्रकरण जगदीश बनाम सुन्दर में निष्पक्ष निर्णय नहीं होने का संदेह व्यक्त किया है तथा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025 में प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में अनापत्ति जाहिर की है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम सुन्दर वगै0 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में स्थानान्तरित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अति0 जिला कलक्टर लालसोट (दौसा)	